



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1165**

**मद/FOR ITEM : लो अलॉय स्टील-(एचआर बार्स)- 3 तरह**  
**Low Alloy Steel - (HR Bars)-3 Types**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पो.आ., हैदराबाद - 500 058 द्वारा अभिकल्पित एवं उत्पादित, लो अलॉय स्टील ग्रेड 30 केएचजीएसए से बने "लो अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड 30केएचजीएसए" हाट रोल्ड बार्स को गैस टर्बाइन इंजन के गियर बाक्स में विविध पार्टों में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है ! इसे आर.सी.एम.ए(मेटैरियल्स) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश सं.टीएस/आईएनडी/एमएटी/एसएल/002-87 दिनांक 23.04.1987 के अनुसार परीक्षित किया गया है । यह मिश्र धातु परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है ।

*This is to certify that the "Low Alloy Structural Steel Grade 30 KHGSA" Hot Rolled Bars developed & manufactured by M/s Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad-500 058, from low alloy steel grade 30KHGSA is hereby approved for production, for use in various parts in gear box of gas turbine engine. It has been tested as per type Technical specification No.TS/IND/MAT/SL/002-87 dated 23:04:1987, in coordination with RCMA (Mat), Hyderabad. It has met the requirements of the tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix - "A "*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearance accorded to the product is hereby superseded consequent to the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन **30 दिसम्बर 2010** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(मेटैरियल्स), कंचनबाग पो.आ., हैदराबाद-500 058 से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Mat), Kanchan bagh P.O Hyderabad-500 058, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1165

दिनांक/Date : **13 FEB** 2006

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

(बी.एस. वेदप्रकाश /B.S.Vedaprakash)

स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/

Offg. Chief Executive (Airworthiness)

13/2/06 13/02/06